

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 30 किमी० है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीव

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन भूस्वाधिकार: रानीखेत
अल्मोड़ा वन-प्रभाग

पुनः प्रकाशित प्रमाणिका
प्रमाणिका

तहसीलदार
बानीखेत (उत्तरांचल)

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीबेत

जिला आधिकार
घाटघोडा.

प्रसादीय पत्रिका,
 धरमोदा नर प्रसाद, धरमोदा